

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)  
भारत सरकार

\*\*\*\*\*

‘हर काम देश के नाम’

**नई दिल्ली, आश्विन 04, 1945**  
**मंगलवार, सितंबर 26, 2023**

साझेदारी में नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए आवेदकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर, 2023 को खुला

साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल के हिस्से के रूप में, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) 27 सितंबर, 2023 से 25 नवंबर, 2023 तक पात्र इच्छुक आवेदक स्कूलों के पंजीकरण के लिए <https://sainikschool.ncog.gov.in/> अपने पोर्टल को फिर से खोलेगा। इच्छुक स्कूलों/न्यासों/गैर-सरकारी संगठनों आदि को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर उपलब्ध नए सैनिक स्कूलों के लिए गुणात्मक अपेक्षाओं, समझौता ज्ञापन और नियमों और विनियमों का अध्ययन करें।

जिन स्कूलों/गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों/सोसाइटियों आदि ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है और राउंड-2 के दौरान आवेदन कर चुके हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने या फिर से पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पहले पंजीकृत आवेदकों को पोर्टल पर अपने डेटा को अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी, यदि कोई ताजा इनपुट, यदि कोई हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण / सहायता के लिए, इच्छुक स्कूल [sainikschoolaffiliation@gmail.com](mailto:sainikschoolaffiliation@gmail.com) को एक ईमेल भेज सकते हैं।

नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का सरकार का दृष्टिकोण न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित उन्हें बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना है बल्कि राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान करना है। इसके लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 42 निजी/गैर-सरकारी संगठनों/राज्य सरकार के स्कूलों को नए सैनिक स्कूलों के रूप में अनुमोदित किया है। ये 42 स्कूल पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत पहले से ही चल रहे मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों से अलग हैं।

ये नए स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और साझेदारी में नए सैनिक स्कूलों के लिए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा, अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम में, वे सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे।

**एबीबी/एलपी**